



भारत का राजपत्र The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)

PART II—Section 3—Sub-Section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 1723]

नई दिल्ली, शुक्रवार, अक्टूबर 23, 2009/कार्तिक 1, 1931

No. 1723]

NEW DELHI, FRIDAY, OCTOBER 23, 2009/KARTIKA 1, 1931

वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय
(औद्योगिक नीति और संवर्धन विभाग)
आदेश

नई दिल्ली, 23 अक्टूबर, 2009

का.आ. 2681(अ).—भारतीय मानक ब्यूरो अधिनियम, 1986 (1986 का 63) की धारा 14 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्र सरकार एतद्द्वारा वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय (औद्योगिक नीति और संवर्धन विभाग) की 25 जून, 2009 की का.आ. 1544(अ) की अधिसूचना द्वारा भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग II, खंड 3, उप-खंड (ii) में प्रकाशित भारत सरकार की अधिसूचना को, सिवाए उन बातों के विखण्डित करती है, जो ऐसे विखण्डन के पूर्व की गई थीं या जिनका करने से लोप किया गया था।

[फा. सं. 14(37)/2004-एलईआई]

अंजलि प्रसाद, संयुक्त सचिव

टिप्पण : मुख्य आदेश भारत के राजपत्र असाधारण में, दिनांक 25 जून, 2009 की अधिसूचना संख्या का.आ. 1544(अ) के द्वारा प्रकाशित किया गया था।

MINISTRY OF COMMERCE AND INDUSTRY
(Department of Industrial Policy and Promotion)

ORDER

New Delhi, the 23rd October, 2009

S.O. 2681(E).—In exercise of the powers conferred by Section 14 of the Bureau of Indian Standards Act, 1986 (63 of 1986), the Central Government hereby rescinds the notification of the Government of India in the Ministry of Commerce and Industry (Department of Industrial Policy and Promotion) published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3, sub-section (ii) *vide* Notification No. S.O. 1544(E), dated 25th June, 2009, except as respects things done or omitted to be done before such rescission.

[F.No.14(37)2004-I(E)]

ANJALI PRASAD, J. Secy.

Note: The principal order was published in the Gazette of India, Extraordinary *vide* notification number S.O. 1544(E), dated 25th June, 2009.